

क्रमांक 283 / कु0स0/रेणो/97

बिलासपुर, दिनांक - 26.10.97

आदेश

विश्वविद्यालय की कार्यपारिषद् की बैठक दिनांक 26.10.97 में म0प्र0 अधिनियम 1973 (क्रमांक 22-1973) की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के रामकार्यालय पर वेतनमान एवं विषय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर नियुक्त किया जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें उक्त वेतनमान में रामय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे। इनकी सेवायें विश्वविद्यालय परिनियम 31 एवं अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होंगी।

इनका वेतनमान मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जावेगा।

इन्हें उक्त वेतनमान में रामय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यह व्यय स्थापना मद शिक्षकों का वेतन शीर्ष से विकलनीय होगा।

क्रमांक	नाम	पद	वेतनमान	विषय	अन्य विवरण
1.	डॉ हरीश कुमार	प्रोफेसर	4500-7300/-	विजनेस मैनेजमेंट	-
2.	कु0 बाबी ब्रह्मे	व्याख्याता	2200-4000/-	विजनेस मैनेजमेंट	½ अ. जा. ॥

कार्यपारिषद् के आदेशानुसार,

एन0के0 तिवारी ॥

कुलसचिव.

पु0क्र0 284 /कु0स0/रेणो/97.

बिलासपुर, दिनांक - 26.10.97

प्रतिलिपि:-

- (1) श्रीमती/श्री/डॉ हरीश कुमार (2) कु0 बाबी ब्रह्मे
को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के अंतर्गत होने की तिथि से 30 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही 1. डॉ हरीश कुमार, रीडर, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेश मैनेजमेंट, सरदार पटेल, विडिओ, बल्लभ विद्यानगर (गुजरात)
2. कु0बाबी ब्रह्मे द्वारा आरोजे0 ब्रह्मे, विडिओ परिसर, गुरु धार्मीदास विडिओ, बिलासपुर (म0प्र0) ... 2...

